



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012-ज्येष्ठ 11, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश पटेल आत्मज श्री स्व. बद्रीप्रसाद पटेल, उम्र 46 वर्ष, पेशा कृषक, निवासी ग्राम सूखा, पोस्ट-सूखा, तहसील-पनागर, जिला जबलपुर में निम्नलिखित कथन कर घोषणा करता हूँ कि मेरा वास्तविक नाम सुरेश पटेल एवं सुरेश कुमार पटेल दोनों ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अर्थात् सुरेश पटेल एवं सुरेश कुमार पटेल दोनों एक ही व्यक्ति के (अर्थात् मेरे) नाम हैं. अब से मुझे केवल सुरेश पटेल के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुरेश कुमार पटेल)

(44-बी.)

नया नाम :

(सुरेश पटेल)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिलसिंह गुर्जर ने अपना नाम परिवर्तन कर स्वामी प्रणवानंद कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(अनिलसिंह गुर्जर)

(46-बी.)

नया नाम :

(स्वामी प्रणवानंद)

सिद्ध आश्रम, रामघाट,

उज्जैन (म. प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि बृजलाल विश्वकर्मा आत्मज स्व. श्री रामसेवक, एच-46, आधार शिला कॉलोनी, बरखेड़ा पठानी, सेवानिवृत्त अति. कार्यपालन अभियन्ता, अमरकण्ठक ताप विद्युत केन्द्र, चर्चाई अपने उपनाम विश्वकर्मा के स्थान पर शर्मा से जाना जावे एवं भविष्य में जो भी पत्र व्यवहार या कोई वैधानिक कार्यवाही की जावे वह बृजलाल शर्मा के नाम से ही की जावे.

पुराना नाम :

(बृजलाल विश्वकर्मा)

(47-बी.)

नया नाम :

(बृजलाल शर्मा)

रिटायर्ड : अति. कार्यपालन अभियन्ता,

अमरकण्ठक ताप एवं विद्युत केन्द्र, चर्चाई,

पता—एच-46, आधार शिला कॉलोनी,

बरखेड़ा पठानी, भेल, भोपाल.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 16 मई, 2012

क्र./एडीएम/12/383.—समस्त अलीराजपुर जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, गस्तिष्क ज्वर के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संदर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें।

मैं, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश आपतक हैजा विनियम 1983 के नियम 3 एवं नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूँ कि जिला अलीराजपुर अगले छः माह के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

अधिसूचित क्षेत्र सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उसे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मलन वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर—

1. बासी मिठाईयों, सड़े-गले फल, सब्जियों, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाए जाएं।
2. कुल्फी, आईस्क्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ खुले बाजार में ढककर व जालीदार स्थानों पर रखे जावें, महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे।
3. नालियों, गटरों, पानी के गड्ढे, मलकुण्ड, कूड़ा-करकट आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से सफाई नियमित की जावे।
4. मक्खियों, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाया जा सके।
5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाये जावें।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुँओं-बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल का उपयोग करें।
7. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में या उसके बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण दो (एक) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा, न ले जावेगा का आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना के लिए किसी भी बाजार, भवन, दुकान अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान में प्रत्येक के प्रवेश करने, निरीक्षण करते समय उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जाँच पड़ताल करें तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिशाप है और जो दूषित या अनुपयुक्त हैं, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 90 एवं 63 में उल्लेखित की हुई पायी गई, अस्वास्थ्यकर, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या उसका ऐसी रीति के निर्वाह करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके,

अधिसूचित क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ—

1. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर।
2. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर।
3. ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो।
4. आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो।
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक एवं समस्त।
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त)।

नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मलसंडासों, संक्रान्त वस्तुओं, विस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते वक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु में उनका निर्वहन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे. स्थानीय निकायों में कार्यपालन अधिकारी इस आदेश तथा विहित प्राधिकारियों द्वारा किये गये आदेशों का पालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे.

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि तक या अन्य आदेश तक, जो भी हो प्रभावशील रहेंगे.

(260)

राजेन्द्र सिंह,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 30 अप्रैल, 2012

क्र. 4319/व.लि. 1/2012.—मध्यप्रदेश आपत्तिक कै, हैजा-आंत्रशोथ विनियम, 1983 के नियम 3 एवं नियम 5 के अन्तर्गत उक्त रोग फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी सम्पूर्ण बड़वानी जिले को उपर्युक्त नियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिसूचना जारी होने के दिनांक से छः माह की कालावधि तक के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ.

श्रीमन् शुक्ला,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(258)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 21 मई, 2012

क्र. जी.बी./दो (7)/2012/1774.—मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल में "ए" एवं "बी" आफसेट श्रेणी में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों से मुद्रण एवं अन्य कार्य कराने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 18 जून, 2012 अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर रखा गया है. निविदा के नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समय में नियंत्रक कार्यालय, भोपाल तथा उप-नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं डिपो जबलपुर में देखी जा सकेंगी.

2. वेबसाइट से डाऊनलोड निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के साथ धरोहर राशि रुपये 1,00,000/- का एफ.डी.आर. एक वर्ष की अवधि का संलग्न करना होगा.

4. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 18 जून, 2012 अपराह्न 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्ब के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

5. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

हीरालाल त्रिवेदी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(261)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“ श्री व्यास न्यास पीठ ” कार्यालय 78/1, लोधीपुरा, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री एस. के. व्यास, निवासी—78/1, लोधीपुरा, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“ श्री व्यास न्यास पीठ ”
पता :	78/1, लोधीपुरा, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति :	निरंक
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(250)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“ मानव मंदिर फाउण्डेशन ” कार्यालय 39/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री अश्विन कुमार जवेर, निवासी—39/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“ मानव मंदिर फाउण्डेशन ”
पता :	39/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक
चल सम्पत्ति : रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आज दिनांक 02 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

वंदना पराशर,
रजिस्ट्रार.

(250-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

रा. प्र. क्र. 6/बी-113/1/11-12.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री पुरुषोत्तम संघी एवं राजेन्द्र तिवारी ट्रस्टी द्वारा "पं. नर्मदा प्रसाद मिश्र ट्रस्ट, जबलपुर" के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 जून, 2012 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : "पं. नर्मदा प्रसाद मिश्र ट्रस्ट, जबलपुर"
2. चल सम्पत्ति : कुछ नहीं
3. अचल सम्पत्ति : प्लॉट नं. 103/1, ब्लॉक नं. 3 का हिस्सा म. नं. 165 उपरैनगंज वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर, खुला एरिया 564 वर्गफुट, प्रथम तल में निर्मित एरिया 1439 वर्गफुट.

संजय जैन,
पंजीयक.

(251)

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास, पोहरी

पोहरी, दिनांक 23 अप्रैल, 2012

प्रारूप-4

[देखें नियम-5 (1)]

प्र.क्र. /11-12/बी-113/318.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि राजेन्द्र पुत्र बादामी लाल शर्मा श्री राधाकृष्ण मंदिर उत्थान लोक न्यास ट्रस्ट, ग्राम ऐचवाडा, परगना पोहरी, जिला शिवपुरी द्वारा शिवपुरी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 30 दिवस पर न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति के हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर 2 प्रतियों में तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : राधाकृष्ण मंदिर उत्थान न्यास (ट्रस्ट) ग्राम ऐचवाडा, परगना पोहरी, जिला शिवपुरी.
2. अचल सम्पत्ति : ग्राम ऐचवाडा में भूमि 6.63 हे. प्रबंधक कलेक्टर राधाकृष्ण मंदिर के नाम है.
3. चल सम्पत्ति : दो मुकुट चांदी के, करधौनी 1 चांदी की, गुटी झेला 1 चांदी की, जूड़ी 2 तथा छत्र 2 टोडिया 1 जोड़ी चांदी की.

(252)

अतेन्द्र सिंह गुर्जर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जौरा, जिला मुरैना

जौरा, दिनांक 11 मई, 2012

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

प्र.क्र./...../2011-12/बी-113 (1).

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक डॉ. रामजी लाल गुप्ता व अन्य न्यासधारी, जौरा द्वारा गायत्री परिवार ट्रस्ट, जौरा गायत्री मंदिर परमार्थ लोक न्यास जौरा, जिला मुरैना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का क्र. 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति को पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन में न्यायालय में दिनांक 20 जून, 2012 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

गायत्री परिवार ट्रस्ट, जौरा गायत्री मंदिर परमार्थ लोक न्यास जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) प्रारम्भिक निधि के रूप में चल सम्पत्ति रुपये ₹ 5,08,449/- (₹ पाँच लाख आठ हजार चार सौ उनचास रुपये)

(253)

एम. के. जैन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बुरहानपुर

प्र. क्र. /बी-113/2011-2012.

दिनांक 10 मई, 2012

प्रारूप-तृतीय

[नियम पांच-1 देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक

अशोक श्रीधर महाजन निवासी लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर ने "श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक / /2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . "श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।
2. चल संपत्ति . . . बैंक में जमा 30,882/-
3. अचल संपत्ति . . . अचल संपत्ति के रूप में प्लॉट 29,900 वर्गफिट भूमि है, जिस पर मंदिर निर्माण एवं खुली जगह है।

(254)

आर. एस. अगस्थी,
पंजीयक।

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 10 मई, 2012

प्रारूप-4

प्र.क्र. 03/बी-113/11-12.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री प्रतापभानु शर्मा पुत्र स्व. श्री कृष्णगोपाल शर्मा, अध्यक्ष एवं अन्य ट्रस्टीगण द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2012 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . एस. ए. टी. आई. एलमनी ट्रस्ट, विदिशा (मध्यप्रदेश).
द्वारा—मैनेजमेंट कक्ष, एस. ए. टी. आई. (डिग्री)
प्रशासनिक ब्लॉक, सिविल लाईन्स, विदिशा, मध्यप्रदेश, 464002.

2. चल सम्पत्ति . . . बैंक में जमा राशि रुपये 7,000/-
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, SATI शाखा.
3. अचल सम्पत्ति . . . निरंक.

(255)

विदिशा, दिनांक 18 मई, 2012

प्रारूप-4

प्र.क्र. 04/बी-113/11-12.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री सुरेश मोतियानी, अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 जून, 2012 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 जून, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . .	विदिशा डायलेसिस सेन्टर ट्रस्ट, जिला चिकित्सालय परिसर, विदिशा.		
2. चल सम्पत्ति . . .	<u>क्र.</u>	<u>विवरण</u>	<u>कीमत</u>
	1.	एयर कंडीशनर	59,350/-
	2.	डायलेसिस मशीन	9,42,000/-
	3.	एफ. डी. आर.	12,00,000/-
	4.	रेफ्रिजरेटर	8,400/-
	5.	आर. ओ. मशीन	2,25,000/-
	6.	स्टेलिक बॉक्स	2,590/-
	7.	साइलेंट जनरेटर	2,50,001/-
	8.	बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (A/c-06581011000790) दि. 31-03-12 की स्थिति में	47,174/-
	9.	मेडिकल इक्वुपमेंट	23,500/-

योग . . 2817095

3. अचल सम्पत्ति . . . निरंक.

(255-A)

अविनाश तिवारी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी .


अन्य सूचनाएं

कार्यालय वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल, उमरिया

उमरिया, दिनांक 10 मई, 2012

क्र./मा.चि./2012/626.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र नौरोजाबाद को बीट हैमर प्रदाय किया गया था। वनपरिक्षेत्राधिकारी नौरोजाबाद ने पत्र क्र. 803, दिनांक 13 जुलाई 2011 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, वनरक्षक तत्कालीन बीट गार्ड बेलसरा से वन भ्रमण के दौरान उक्त हैमर गिरकर गुम हो गया है। जिसकी रिपोर्ट थाना नौरोजाबाद में दर्ज कराया गया एवं हैमर के खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे।

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित गुमशुदा हैमर को स्टॉक रजिस्टर के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है।



उक्त हैमर की कीमत 100/- (एक सौ रुपये मात्र) श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, वनरक्षक से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है।

उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या कार्यालय उमरिया वनमण्डल में जमा करें।

इस विज्ञापित बाद यदि कोई हैमर को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(256)

आर. के. पाठक,
वनसंरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

रेल्वे कॉलोनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 649, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2787, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल्वे कॉलोनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 649, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-S)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

माँ वैष्णव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जवाहर वार्ड, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1098, दिनांक 01 मार्च, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2793, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त

की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ वैष्णव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जवाहर वार्ड, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1098, दिनांक 01 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-T)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मनोरमा वार्ड, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 03 मई, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2823, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मनोरमा वार्ड, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 03 मई, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-U)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 736, दिनांक 03 अगस्त, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2790 बी, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 736, दिनांक 03 अगस्त, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-V)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मण्डीबामोरा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 09 दिसम्बर, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2791बी, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मण्डीबामोरा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 09 दिसम्बर, 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-W)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., भगत सिंह वार्ड, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1084, दिनांक 04 फरवरी, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2792, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., भगत सिंह वार्ड, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1084, दिनांक 04 फरवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-X)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

ईट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., रूपऊ, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 29 जून, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2803, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., रूपऊ, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 29 जून, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-Y)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

पत्थर खदान उद्योग सहकारी समिति मर्या., मनमती, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 06 अगस्त, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2817, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. असाठी, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्थर खदान उद्योग सहकारी समिति मर्या., मनमती, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 06 अगस्त, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(234-Z)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महात्मा गाँधी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 मई, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2848, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गाँधी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डा मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 मई, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., डिलाखेड़ी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 131, दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2812, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., डिलाखेड़ी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 131,

दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कांफ़ॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ, यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258-A)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सौंधिया कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., बण्डा बेलई, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 20 अप्रैल, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2834, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौंधिया कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., बण्डा बेलई, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 20 अप्रैल, 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कांफ़ॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258-B)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कामिनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 27 मई, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2782, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामिनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 27 मई, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कांफ़ॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258-C)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धोनई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 20 फरवरी, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1608, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धोनई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 20 फरवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258-D)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., दलपतपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 09 जनवरी, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2825, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. के. रूसिया, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., दलपतपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 09 जनवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258-E)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., उदयपुरा विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 10 जनवरी, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1599, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., उदयपुरा विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 10 जनवरी, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258-F)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/671.--महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजौआ, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 01 मार्च, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1499, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजौआ, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 01 मार्च, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258-G)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

भाग्योदय ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1067, दिनांक 03 सितम्बर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2826, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1067, दिनांक 03 सितम्बर, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258-H)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

माँ भवानी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., नरवां, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 21 फरवरी, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2810, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ भवानी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., नरवां, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 21 फरवरी, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258-I)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

डॉ. अम्बेडकर पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., बरेठी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 23 अगस्त, 1996

को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. अम्बेडकर पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., बरेठी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 23 अगस्त, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258-J)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258-K)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 19 जून, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/531, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 19 जून, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258-L)

अरूण कुमार मिश्र,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परिसमापन/2012/441.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैरूआ	186/31-12-1987	580/13-07-2010	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परिसमापन/2012/442.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धमकन	183/25-09-1987	580/13-07-2010	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-A)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परिसमापन/2012/443.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुर	530/08-09-2006	1374/30-11-2011	श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-B)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परिसमापन/2012/444.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदिवासी खनिज मजदूर सहकारी संस्था मर्या., वारां	364/02-11-95	1374/30-11-2011	श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-C)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परिसमापन/2012/445.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	373/05-07-1996	1374/30-11-2011	श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-D)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परिसमापन/2012/446.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महात्मा फुले गौड़ खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	393/15-05-1997	1374/30-11-2011	श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-E)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/447.—निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	खनवरियान मजदूर सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	167/11-07-1955	574/13-07-2010	श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-F)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खुरई	505/01-10-2004	73/30-03-2011	श्री रमेश जैन, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-G)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :-

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिम्मतपुर	422/20-05-1998	73/30-03-2011	श्री रमेश जैन, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ, अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(259-H)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :-

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	हर्बल एग्री सहकारी संस्था मर्या., मनपुरा	466/27-03-2002	73/30-03-2011	श्री रमेश जैन, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, बी. सी. उइके, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ, अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(259-I)

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च, 2012

निम्नांकित सूची के कॉलम नं. 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गूडर	524/15-02-2006	73/30-03-2011	श्री रमेश जैन, सहकारी निरीक्षक

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, बी. सी. उड़के, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(259-J)

बी. सी. उड़के,
उप-रजिस्ट्रार.

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम, उपनाम सहित सुरेन्द्र कुमार (Surendra Kumar) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित सुरेन्द्र कुमार वर्मा (Surendra Kumar Verma) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम, उपनाम सहित सुरेन्द्र कुमार वर्मा (Surendra Kumar Verma) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(सुरेन्द्र कुमार)
(Surendra Kumar)

नया नाम :

(सुरेन्द्र कुमार वर्मा)
(Surendra Kumar Verma)

पता- (पुराना- 88, गणेश वार्ड नं. 2)
नया कैलाश वार्ड नं. 3, बैतूल बाजार,
बैतूल, जिला बैतूल-460004 (म.प्र.).

(48-बी.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012-ज्येष्ठ 11, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु- स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा तथा सीधी जिले की कुसमी तहसील को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कुसमी (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला प. निमाड़ में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.— जिला देवास में पाला गिरने से आंशिक हानि चना, आलू पर 5% व डिण्डोरी में तुअर, मसूर, मटर को पाला से क्षति तथा छिन्दवाड़ा में चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.

5. कटाई.—जिला दमोह में फसल मसूर, बटरी व सीहोर में चना, मसूर व बैतूल में तुअर, गन्ना तथा मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सिंगरौली में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असाधारण घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, - मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा 2. दतिया 3. भाण्डेर
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनिवाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शादौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. ..	7. ...
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ...
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. मसूर बटरी की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा				
2. बटियागढ़				
3. दमोह				
4. पथरिया				
5. जवेरा				
6. तेन्दूखेड़ा				
7. पटेरा				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ, मसूर, सरसों, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर				
2. मझगावां				
3. रामपुर-बधेलान				
4. नागौद				
5. उचेहरा				
6. अमरपाटन				
7. रामनगर				
8. मैहर				
9. बिरसिंहपुर				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी अधिक, मसूर कम. तुअर, ज्वार, जौ, चना, गेहूँ, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर निल	निल				
2. सिरमौर				
3. मऊगंज				
4. हनुमना				
5. हजूर				
6. गुढ़				
7. नईगढ़ी				
8. रायपुरकचुलियान				
9. जवा				
10. सेमरिया				
11. मनगवां				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर				
2. ब्यौहारी				
3. जैसिंहनगर				
4. जैतपुर				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. अरहर, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी				
2. अनूपपुर				
3. कोतमा				
4. पुष्पराजगढ़				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़				
2. पाली				
3. मानपुर				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ... (2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, जौ, अधिक. तुअर, मसूर, आलू, मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ... (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर, आलू समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. पाला गिरने से आंशिक हानि चना, आलू पर 5% क्षति हुई है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला प. निम्नाडू :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गन्ना, कपास, गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. बरला	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपालगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नंटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम. गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. फसल तुअर एवं गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. थोडाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. सिराली	..				
6. रेहटगांव	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, अलसी, ज्वार सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगाढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. तुअर, मसूर तथा मटर को पाला से क्षति.	3. . . 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— *जिला गुना, शहडोल, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, भोपाल, रायसेन, से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.